

प्रगतिशील योजना के समीक्षा के कम में संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अधिकांश मामलों में एकरारनामा के विरुद्ध प्रदत्त अग्रिम राशि में स्थापित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने का तथ्य प्रकाश में आया है, जो वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितता परिलक्षित होता है।

अतएव निदेश दिया जाता है, कि एकरारनामा की शर्तों के अधीन स्थापित एवं निरूपित विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अग्रिम प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता एवं लेखापाल की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित कर दण्डात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

पुलिस महानिदेशक—सह—अध्यक्ष—सह—प्रबन्ध निदेशक के आदेश से,

ह0/-

मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक— /

दिनांक— 2022

प्रतिलिपि: — अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल— 1 एवं 2/संचिव/ मुख्य लेखा पदाधिकारी/ सभी कार्यपालक अभियन्ता, कार्य प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक— १० ३७२३ /

दिनांक— २६.११.२१ 2022

प्रतिलिपि: — पुलिस महानिदेशक—सह—अध्यक्ष—सह—प्रबन्ध निदेशक को सादर सूचनार्थ।


मुख्य अभियन्ता